



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14032026-270945
CG-DL-W-14032026-270945

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, मार्च 8—मार्च 14, 2026, शनिवार/फाल्गुन 17—फाल्गुन 23, 1947
No. 4] NEW DELHI, MARCH 8—MARCH 14, 2026, SATURDAY/PHALGUNA 17—PHALGUNA 23, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2026

आ. अ. 3.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से एतद्वारा श्री अवनीश कुमार, आई.ए.एस (ए.जी.एम.यूटी:2014) को उनके कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री अवनीश कुमार, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री अवनीश कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लक्षद्वीप के रूप में कार्य करते हुए लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/LKD/2025-P.Admn]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

**SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th January, 2026

O. N. 3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Administration of Union Territory of Lakshadweep hereby designates Shri Awanish Kumar, IAS (AGMUT:2014) as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Lakshadweep with effect from the date he takes over charge and until further orders.

2. Shri Awanish Kumar shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Administration of Union Territory of Lakshadweep, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Awanish Kumar while functioning as the Chief Electoral Officer, Lakshadweep shall not hold any additional charge whatsoever under the Administration of the Union Territory of Lakshadweep except that he should be designated Secretary to the Administration of the Union Territory of Lakshadweep in charge of Election Department in the Union Territory Secretariat.

[F. No. 154/LKD/2025-P.Admn.]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.